प्रपत्र–11

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में पांडेखरक जिजोली राजकीय पौलिटेकनिक हेतु मोटर मार्ग का निर्माण ।

परियोजना का औचित्य

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 668 / 2015 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 4417 / 111(2) / 15–04(मु.मं.घो) / 2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ ब्लौक के पांडेखरक जिजोली राजकीय पौलिटेकनिक हेतु मोटर मार्ग 2.00 कि0मी0 लम्बाई एवं रू0 28.64 लाख की (प्रथम चरण–यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर के गरूड़ ब्लौक में स्थानीय शिक्षित युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा पाडेखरक जिजोली में राजकीय पौलिटेकनिक की स्थापना की गयी है जिसमें भवन निर्माण उपरान्त शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। इस क्षेत्र का स्थानीय बाजार गरूड़ में है जहां पर सभी सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थान यथा – विभिन्न बैक, डाकघर, सरकारी अस्पताल, सरकारी एवं गैरसरकारी शिक्षण संस्थान, राजकीय महा विध्यालय, विकास खंड कार्यालय, तहसील कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय भी अवस्थित हैं। साथ ही इस क्षेत्र में तैनात होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निजी आवासीय सुविधा भी गरूड़ में उपलब्ध हो जाती हैं। गरूड़ बाजार से राजकीय पौलिटेकनिक की दूरी 2 कि0मी0 है जो ऊँचाई पर स्थित है। पौलिटेकनिक में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं कार्यरत कर्मचारियों को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को गरूड़ बाजार से लाने हेतु लगभग 10 कि0मी0 घूम कर आना जाना पड़ता है। इसमें अनावश्यक समय की बरबादी होती है जिसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। स्थानीय अभिभावकों द्वारा इस समस्या के निदान हेतु काफी समय से गरूड़ बाजार के निकट से पौलिटेकनिक तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण की माांग की जा रही थी और उसी कम में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत यह लिंक मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है।

इस मार्ग का सर्वेक्षण कौसानी–बैजनाथ राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं0 11 के दर्शानी नामक स्थान से आरम्भ किया गया है और पौलिटेकनिक तक कुल लम्बाई 2 कि0मी0 आती है। मोटर मार्ग के संरेखण में सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि के साथ ही बीच बीच में नाप भूमि आती है। संरेखण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं होती हैं। इस लिंक मोटर मार्ग का निर्माण होने से स्थानीय बच्चों को पालिटेकनिक एवं विध्यालयों में आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 0.957 है0 वन भूमि एवं विभिन्न व्यास के कुल 42 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर